संख्या– / XXVII(6) / टी.सी.ए.–96 / नौ / 2013 / 2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
(यथा–चमोली / रूद्रप्रयाग / पौड़ी / टिहरी / उत्तरकाशी / उधमसिंहनगर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / बागेश्वर / अल्मोड़ा / नैनीताल)।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून, दिनांकः 18 दिसम्बर, 2017

विषय– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य अधिकृत करने तथा प्राधिकरणों के लेखा संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 22.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी में सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति को बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौड़ी हेतु नामित सदस्यों के नाम / पदनाम उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा कार्यों तथा वित्तीय प्रकरणों पर परामर्श हेतु अग्रिम आदेशों तक संबंधित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 176 / XXVII(6) / टी.सी.ए.–96 / नौ / 2013 / 2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमांयू।
3. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण।
4. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

1180
20/12/2017